राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

दिनांक 11—05—2023

—: प्रेस नोट :—

आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में अभ्यर्थियों द्वारा भिन्न—भिन्न प्रकरणों (आवेदन—पत्रों में रही त्रुटि यथा नाम/पिता का नाम/आयु/पता/वर्ग/विषय/post preference परिवर्तन इत्यादि) में माननीय न्यायालय की शरण ली जाती थी जिसमें आयोग को भी पक्षकार बनाया जाता था जिससे अभ्यर्थियों एवं आयोग का अमूल्य समय एवं धन खर्च हो रहा था तथा न्यायालयों में ऐसे छोटे—छोटे मामलों को लेकर मुकदमों का अम्बार लग रहा था। आयोग द्वारा बढते वादकरण को कम करने के लिए आयोग स्तर पर **दिनांक 01.03.2019** प्री—लिटिगेशन कमेटी के गठन के उपरांत अब तक कुल **25 बैठके** आयोजित हो चुकी हैं जिसमें कुल **533** प्रकरण निस्तारित किये जा चुके हैं।

इसी क्रम में आज दिनांक **11—05—2023** को प्री—लिटिगेशन समिति की बैठक आयोजित की गई जिसकी अध्यक्षता प्री—लिटिगेशन समिति के अध्यक्ष **श्री जसवंत सिंह राठी** द्वारा की गई। बैठक में आयोग सचिव श्री एच.एल.अटल, विधि परामर्शी श्री भंवर भदाला, संयुक्त सचिव श्री आशुतोष गुप्ता, एवं अनुभाग अधिकारी श्री तेज सिंह भाटी उपस्थित रहे।

प्री—लिटिगेशन समिति द्वारा Social Distancing (सामाजिक दूरी) का विशेष ध्यान रखते हुए कुल **04** प्रकरणों पर विचार कर निस्तारित किया गया।

(आशुतोष गुप्ता)
सचिव एवं सदस्य सचिव
प्री—लिटिगेशन समिति